RAISEN DISTRICT COLLECTOR

BHOPAL Division

Fire Safety Certificate

अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र

जावक क्रमांक/Dispatch Number	जावक तिथि / Dispatch Date	आवेदन तिथि / Application Date
CB-2600000560/FNOC/COL/2026/18971	05/10/2026	03/07/2026

आवेदन क्रमांक / **Application No. :**	CB-2600000560	अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / **Type of NOC :**	Fire Safety Certificate
अधिभोग का प्रकार / **Type of Occupancy :**	Educational Building / शैक्षिक भवन	भवन की ऊँचाई (मीटर) / **Building Height (Mtr) :**	7.0
निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर) / **Built-up Area (Sq.Mtr) :**	16900.0	सड़क के स्तर से भवन की ऊंचाई (मीटर) / **Building height From Road level(Mtr) :**	7.0
भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) / **Plot Area (Sq.Mtr) :**	8500.0		
आवेदक का नाम / **Applicant Name :**	BRIGHT VISION INTERNATIONAL SCHOOL		
संपत्ति का पता / **Property Address :**	PRINCIPAL BRIGHT VISION INTERNATIONAL SCHOOL KHASRA NO. 267/1/2 & 270/2/2/1/2 VILLAGE BAMHORI BHUWARI, UDAIPURA		
आवेदक का पता / **Applicant Address :**	108, BAMHORI ग्राम :बम्होरी श्◌ुआरी ग्राम पंचायत :बम्होरी देवरी जनपद पंचायत, उदयपुरा जिला :रायसेन		

प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority

अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र (Fire Safety Certificate) निम्नलिखित शर्तों पर जारी किया जाता है :-

1.अग्नि योजना अनुमोदन में प्रावधानित बिन्दुओं, NBC 2016 –Part -VI, Table ~~-7 एवं भूमि विकास नियम -2012 के प्रावधान~~ अनुसार स्थल निरीक्षण के दौरान भवन में नियमानुसार आवश्यक अग्निशमन उपकरण स्थापित पाये गये

Signature valid
Signed by: Shri Arun Kumar Vishwakarma
Reason: Apply for NOC
Location: 34
Date: 06-10-2026
E-sign

Raisen District Collector
Bhopal Division, Madhya Pradesh

S. Chatterjee
Principal
Bright Vision International School
Udaipura- Pin 464770

Madri
सचिव
रायसेन राम सर्व शिक्षा समिति
ग्राम बम्हौरी -भुआंरी, तह.-उदयपुरा
जिला- रायसेन (म.प्र.)

Panakant
अध्यक्ष
रायसेन राम सर्व शिक्षा समिति
ग्राम बम्हौरी -भुआंरी, तह.-उदयपुरा
जिला-रायसेन (म.प्र.)

2.भवन में स्थापित समस्त अग्निशमन उपकरणअें का रखरखाव नियमित अंतरल में एवं हमेशा ऑपरेशनल/ चालू स्थिति में रखा जाना अनिवार्य होगा, जिसका रिकार्ड विधिवत रखा जाना चाहिए। भवन में कार्यरत /उपलब्ध समस्त अधिकारियअें/कर्मचारियअें को अग्निशमन उपकरणअें के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा।

3.भवन में सम्भावित अग्निदुर्घटनाओ के प्रभावी नियंत्रण हेतु आपातकालीन योजना बनाना आवश्यक है, जिसमें शामिल समस्त विन्दुओं जैसे मॉक ड्रील, लाईफ सेफ्टी ड्रील, अग्निशमन उपकरणअें का संचालन, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं अग्निदुर्घटना की स्थिति में स्थल में कार्यरत कर्मचारियअें को सुरक्षित बाहर निकालने/निकलने का अभ्यास नियमित अंतराल में किया जाना आवश्यक होगा।

4.भवन की अग्निसुरक्षा व्यवस्था हेतु स्थापित स्टैण्डपाइप एवं सक्शन/राइजर/ डाउनकमर/स्प्रिंकलर पाईपअें का हाइड्रोस्टैटिक परीक्षण 25 में प्रावधानित नियमो के आधार पर प्रति पांच वर्षों में एक बार कराना अनिवार्य होगा

5.भवन की फस्ट एड अग्निसुरक्षा व्यवस्था हेतु भवन के अग्निदुर्घटना सम्भावित स्थलअें जैसे इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड, पैनल, स्टोर रूम, रसोई घर एवं कोरीडोर में IS :2190 में प्रावधानित नियमअें के आधार पर रखे गये फायर एक्सटिंग्युशर को निर्धारित अवधि में रखरखाव, टेस्टिंग तथा रिफिलिंग का कार्य किया जाना अनिवार्य होगा।

6.भवन में फायर वाहन की बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 एवं नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा मार्गदर्शिता अनुसार प्रावधानित MOS को हमेशा बाधा रहित रखना अनिवार्य होगा एवं भवन के सभी फ्लोर एरिया के बाहरी निकासअें को हमेशा निर्बाध रूप से खुला रखा जाना आवश्यक होगा।

7.भवन की अग्निसुरक्षा व्यवस्था हेतु प्रतिवर्ष 30 जून तक फायर सेफ्टी ऑडिट (जिसमें अग्निशमन उपकरणअें की जांच, फायर अलार्म सिस्टम एवं अग्निसुरक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा आदि शामिल हअें) एवं इलेक्ट्रीकल सेफ्टी ऑडिट (विद्युत उपकरणअें/तारअें की जांच एवं विद्युत सुरक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा) निर्धारित अवधि एवं प्रपत्रो में करना आवश्यक होगा, ताकि सुरक्षा मानकअें का पालन सुनिश्चत किया जा सके।

8.भवन में हाउस कीपिंग का विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक है साथ ही परिसर के अंदर धूम्रपान एवं चिंगारी पैदा करने वाले उपकरण पूर्णतः प्रतिबंधित होने चाहिये और परिसर को झाडियअें, सूखी वनस्पतियअें एवं ज्वलनशील पदार्थों से मुक्त रखा जाना आवश्यक है।

9.अग्निसुरक्षा संचालन व्यवस्था हेतु भवन की श्रेणी अनुसार प्रशिक्षित अग्निशमन अधिकारी/कर्मचारियअें को नियमित रूप से रखना अनिवार्य है एवं नियंत्रण कक्ष में Emergency Kit,PPE एवं First Aid को नियमानुसार हर समय उपलब्ध रखना आवश्यक होगा।

10.भवन की अग्निसुरक्षा में कार्यरत कर्मचारियअें की ड्यूटी निर्धारित किया जाना आवश्यक है, अग्निशमन उपकरणअें की प्रेशर टेस्टिंग, हाईड्रोस्टेटिक टेस्टिंग, फायर पंप का प्रेशर सेंटिंग, पानी की उपलब्धता एवं रिफिलिंग आदि कार्य का चेकिंग सिस्टम तैयार कर, टेस्ट रिपोर्ट रोजाना, सप्ताहिक, महीनेवार एवं वार्षिक का संधारण रजिस्टर में नियमित रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा।

11.आवेदकअें/भवन स्वामी को प्रदाय किया जा रहा अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र (Fire Safety Certificate) जारी दिनांक से 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा। अवधि समाप्त होने के 1 माह पूर्व अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र (Fire Safety Certificate) के नवीनीकरण हेतु enagarpalika.mp.gov.in में विधिवत आवेदन करना होगा।

Signature valid
Signed by: Shri Arun Kumar Vishwakarma
Reason: Apply for NOC
Location: 34
Date: 06-10-2026
E-sign

Raisen District Collector
Bhopal Division, Madhya Pradesh

S. Chatterjee
Principal
Bright Vision International School
Udaipura- Pin 464770

Modvi
सचिव
रायसेन राम सर्व शिक्षा समिति
ग्राम बम्हौरी भुआंरी, तह.-उदयपुरा
जिला- रायसेन (म.प्र.)

Ramakant
अध्यक्ष
रायसेन राम सर्व शिक्षा समिति
ग्राम बम्हौरी -भुआंरी, तह.-उदयपुरा
जिला-रायसेन (म.प्र.)